



बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक  
Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank  
(बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित)  
(Sponsored by Bank of Baroda)

प्रधान कार्यालय: अजमेर

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) अनुपालना हेतु समस्त सम्मानित ग्राहकों को सूचना व अनुरोध

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सभी खाते अनिवार्यतः केवाईसी अनुपालित होने चाहिए। अतः ऐसे सभी खाताधारक जिन्होंने अभी तक पहचान एवं पते का प्रमाण (आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज—पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, नरेगा का जॉबकार्ड, आधार कार्ड—उपरोक्त दस्तावेज में यदि पता उल्लेखित हो तो कोई भी एक दस्तावेज पहचान एवं पते दोनों के लिये\* पर्याप्त है) एवं अपना नवीनतम फोटो जमा नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध है कि वर्णित दस्तावेज दिनांक 29.02.2016 से पहले अपनी बैंक शाखा में आवश्यक रूप से जमा करवाएं। दिनांक 01.03.2016 से गैर केवाईसी अनुपालित खातों में किसी भी प्रकार के लेनदेन पर रोक लगा दी जायेगी।

नोट—अधिक जानकारी के लिए हमारी संबंधित/नजदीकी शाखा से सम्पर्क करें।

